P: ISSN NO.: 2394-0344
E: ISSN NO.: 2455-0817
Remarking An Analisation
RNI No.UPBIL/2016/67980
Vol-I* Issue- V* August - 2016

सुशासन में सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की भूमिका (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में)

हरि चरण अहिरवार
अतिथि व्याख्याता,
राजनीति विज्ञान विभाग
शा0 इन्दिरा गाँधी गृहविज्ञान कन्या महाविद्यालय,
शहडोल, म0प्र0

दिनेश प्रसाद वर्मा
अतिथि व्याख्याता,
शा0 चन्द्रविजय महाविद्यालय,
डिण्डोरी, म0प्र0

सारांश

भारतीय संविधान भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श को प्रस्तुत करता है, अतः स्वाभाविक है कि लोक कल्याणकारी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण उपागम सुशासन ही होगा। प्रचलित अवधारणाओं के अन्तर्गत सुशासन का तात्पर्य है जनता के सभी वर्गों के हितों में अभिवृद्धि, कानून का शासन एवं मजबूत न्यायिक व्यवस्था, आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा के उत्तम उपाय, समाज में शांति, समृद्धि एवं विकास। सुशासन शासन के उस व्यवहार से संबंधित है जिसमें मशीनरी एवं संस्थाएँ अपनी गतिशीलता प्राप्त करती हैं, यह लोगों का वह समूह है जो शक्ति का प्रयोग करते हुये परिभाषित उत्तरदायित्व से संबंध रखता है। जनहित के मुद्दों को निपटाने हेतु समाज के आर्थिक एवं सामाजिक संसाधनों को गतिशील करने में सरकार की शक्ति एवं प्राधिकार के प्रयोग से संबन्धित व्यवहार तथा प्रक्रिया से संबंध रखता है।

भारतीय संविधान का मूल मन्त्र लोकतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था में नागरिकों की भागीदारी है, नागरिक के रूप में हमें केवल चुनावों के वक्त ही नहीं अपितु नीतिगत निर्णयों, कानूनों और योजनाएँ बनाए जाने के वक्त और परियोजनाओं तथा अन्य गतिविधियों का क्रियान्वयन करते वक्त भी दैनिक आधार पर भागीदारी करने की जरूरत पड़ती है। जन सहभागिता न केवल शासन की गुणवत्ता में वृद्धि करती है वरन् वह सरकार के कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही को भी बढ़ावा देती है।

सूचना के अधिकार को भागीदारीपूर्ण प्रशासन को मजबूत करने की एक कुंजी के रूप में देखा गया है, जिससे लोगों में जन केन्द्रित सुशासन की शुरुआत हुई, मूलभूत दृष्टि से सूचना का अधिकार सुशासन की स्थापना के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है। सार्वजनिक मामलों में पारदर्शिता की आवश्यकता को समझते हुए भारतीय संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अधिनियमन किया। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 एक पथ प्रदर्शक विधान है जो लोगों को सशक्त बनाता है तथा प्रशासन में पारदर्शिता को प्रोत्साहित करता है।

मुख्य शब्द : पारदर्शिता, सूचना प्रदाता, सूचना विस्तारण, सुशासन

प्रस्तावना

'सुशासन' की अवधारणा के विकास को कौटिल्य, अरस्तू और प्लेटो के दर्शनों में देखा जा सकता है। 315 ई.पू. से 296 ई.पू. के बीच रचित अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र के माध्यम से कौटिल्य ने सुशासन के 10 संकेतों को उद्धृत करने का प्रयत्न किया था। वेदांतिक चिंतन के साथ प्रशासन में सच्चरित्रता, नैतिकता एवं पारदार्शिता जैसे तत्वों को समाविष्ट करने की कोशिश भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में प्राचीनकाल से ही देखी जा रही है। विचारधारा, कार्य, कर्त्तव्य तथा व्यक्तिगत व्यवहार के सभी पहलुओं के साथ 'अच्छा' तत्व को जोड़ने की भारतीय कोशिश भारतीय इतिहास का हिस्सा रही है।

वर्तमान समय में सुशासन का मुद्दा राजनीति शास्त्र एवं लोक प्रशासन सम्बन्धी विचार–विमर्श और विद्वानों की चर्चाओं का प्रमुख विषय बन गया है। विश्व के विकसित और विकासशील दोनों हिस्सों में अब ध्यान केन्द्र सरकार और राजनीति की रूढ़िगत अवधारणाओं से हटकर सुशासन, उसकी विशेषताओं और अनिवार्यताओं की ओर हो गया है, जो कि एक स्वागतयोग्य बदलाव है।

भारतीय परिदृश्य में सुशासन का विश्लेषण करने के लिए भारतीय दर्शन को प्रतिबिम्बित करने वाले भारतीय संविधान पर ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना न सिर्फ भारतीय दर्शन (शासन और प्रशासन के सम्बन्ध में) की व्याख्या करती है, बल्कि उसका विहंगम सजीव

P: ISSN NO.: 2394-0344
E: ISSN NO.: 2455-0817
Remarking An Analisation
RNI No.UPBIL/2016/67980
Vol-I* Issue- V* August - 2016

दृश्य भी प्रस्तुत करती है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित यह देश सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लाभ को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व और व्यक्ति की गरिमा की सुखद अनुभूति हो सके। राष्ट्रीय उद्देश्य संकल्प को संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित करने के साथ–साथ संविधान के भाग–3 और भाग–4 में सुशासन के तत्वों को शामिल करते हुए समानता, स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्थान दिया गया है तथा नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक समाजवाद और सामाजिक न्याय के तत्वों को भी स्थान दिया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 शासन एवं प्रशासन दोनों पर नियंत्रण स्थापित करने का बहुत बड़ा साधन है, प्रशासनिक कार्यों में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निरंकुशता उनकी भ्रष्टाचार में लिप्तता और जन सामान्य का किया जा रहा शोषण आदि को दूर करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 एक कारगर अस्त्र साबित हो रहा है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के आने से प्रशासन में बैठे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निरंकुशता, तानाशाही एवं लालफीताशाही की ढर्रेशाही को बहुत ही नियंत्रित किया गया है। प्रशासन की जनता के प्रति जवाब देहिता एवं उत्तरदायित्व को सूचना के अधिकार कानून के द्वारा और अधिक सशक्त किया गया है। सुशासन की स्थापना के लिए और सच्चे अर्थों में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 आज की अनिवार्यता बनकर सामने आया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सम्बन्ध में इतना अवश्य ही कहा जा सकता है कि इससे प्रशासनिक क्षेत्र की जावाबदेयता और उनकी सच्चरित्रता को अधिक सुस्पष्ट किया गया है। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 ने एक आदर्श राज्य एवं एक आदर्श सरकार को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक आदर्श सरकार या आदर्श राज्य उस सरकार को कहा जा सकेगा जहाँ कि जनता से कोई भी बात छुपी न हो। आज सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के लागू होने से प्रशासनिक स्तर पर नागरिकों से कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता, ऐसे में एक पारदर्शी एवं उत्तरदायित्व वाली सरकार स्थापित होकर एक आदर्श राज्य व सुशासन की स्थापना करता है।

सुशासन का उद्भव शासन में अच्छाई को सम्मिलित करना सदियों से समाज की इच्छा रही है। जन्म से ही शासकों के लिए सुशासन की स्थापना एक आन्तरिक चुनौती रही है। प्रारम्भ में 'राज्य' और 'सुशासन' एक दूसरे के पर्यायवाची रहे हैं। आज विश्व की समस्त शासन प्रणालियाँ चाहे वह लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, राजतंत्रीय या तानाशाही ही क्यों न हो, सुशासन को अंगीकार कर चुकी हैं।

वास्तव में सुशासन प्रशासनिक इकाई में कार्य करने वाले व्यक्तियों की कार्य कुशलता एवं प्रभावी प्रशासन का नाम है। भारत के लम्बे संघर्षपूर्ण राष्ट्रीय आन्दोलन के पश्चात् सुशासन की स्थापना की दिशा में निरंतर प्रयास होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं, सुशासन एक गतिशील अवधारणा है जो प्रत्येक समय या काल के लिए आवश्यक है। इस प्रकार सुशासन की खोज की दिशा में निरंतर सामयिक प्रयास होते रहना चाहिए। वस्तुतः सुशासन के लिए एक संतुलित शासन होना चाहिए इससे सरकार, निजी क्षेत्र गैर सरकारी संगठन और सहकारी प्रयत्नपूर्ण पूर्ण समन्वय व उत्तरदायित्व के साथ सामाजिक हित की पूर्ति में संलग्न रहेंगे। सरकार मात्र एक ढाँचा के रूप में कार्य न करके जीवित या संवेदनशील प्राणी की तरह कार्य करे तभी सुशासन संभव है।

शोध पत्र के उद्देश्य

1. प्रशासनिक सक्रियता में सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की उपादेयता का विश्लेषण करना।
2. प्रशासनिक निर्णयों में जनसहभागिता लाना जिससे प्रशासन की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लग सके, की भावना का अन्वेषण।
3. प्रशासनिक निरंकुशता पर लगाम लगाना तथा प्रशासन को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाना।
4. प्रशासनिक स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना तथा सुशासन स्थापित करना।
5. नागरिकों के माध्यम से सरकारी तंत्र को और अधिक जवाबदेह बनाना।
6. प्रशासनिक कार्यों में गुणवत्ता प्रदान करना।

शोध प्रविधि

शोध पत्र की प्रकृति विश्लेषणात्मक एवं अनुभवमूलक है, इसमें शोध के प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्त्रोतों का प्रयोग किया गया है तथा तथ्य संकलन के द्वितीयक स्त्रोतों का प्रयोग करते हुए पुस्तकालय, संदर्भ–ग्रन्थों तथा पत्र–पत्रिकाओं से स्त्रोत सामग्री का संकलन किया गया है, इसके अतिरिक्त इन्टरनेट के माध्यम से अध्ययन विषय के अनुरूप सामग्री संकलित की गई। प्राथमिक स्त्रोत के अन्तर्गत विषय के अनुरूप प्रतिनिधिमूलक निदर्शों का चयन कर निष्कर्ष प्राप्त करने का प्रयास किया गया तथा शोध–पत्र में सोद्देश्यपरक स्तरीकृत निदर्शन का यथासंभव प्रयोग करते हुए शोधार्थी द्वारा साक्षात्कार अनुसूची प्रविधि के माध्यम से स्पष्ट और प्रमाणिक निष्कर्ष तक पहुँचने का प्रयास किया गया है।

विश्लेषण

शोध–पत्र में अध्ययन एवं तर्कसंगत निष्कर्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से यदिच्छिकृत सोद्देश्यपरक निदर्शन प्रविधि से 120 लोगों का समंक चुना गया तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की प्रभावशीलता के संदर्भ में सार्वजनिक दृष्टिकोण के माध्यम से संभावित निष्कर्ष तक पहुँचने का प्रयास किया गया है। समंक में चयनित उत्तरदाता विविध स्थान, आयु, जाति, वर्ग, शैक्षिक स्थिति, व्यवसाय एवं आय के थे। प्रस्तावित शोध–पत्र हेतु साक्षात्कार मध्यप्रदेश के रीवा जिले में आयोजित किया गया, आयोजित साक्षात्कार प्रविधि में उत्तरदाताओं द्वारा दी गई प्रतिक्रिया को प्रस्तुत शोध–पत्र में सारिणी द्वारा प्रदर्शित किया गया है शोधार्थी द्वारा चयनित समंको की प्रतिक्रिया इस प्रकार हैः–

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की सुशासन में प्रभावशाली भूमिका के संदर्भ में प्रतिक्रिया

P: ISSN NO.: 2394-0344
E: ISSN NO.: 2455-0817
Remarking An Analisation
RNI No.UPBIL/2016/67980
Vol-I* Issue- V* August - 2016

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की सुशासन में प्रभावशाली भूमिका के संदर्भ में अध्ययन करने के लिए विविध वर्गों से चयनित 120 निदर्श के आधार पर सहभागी उत्तरदाताओं का विचार लिया गया। निदर्श के चयन में अलग–अलग शैक्षणिक योग्यता वाले ऐसे उत्तरदाताओं के चयन का प्रयास किया गया है जिन्होंने या तो सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया था अथवा सूचना का अधिकार अधिनियम से सुविज्ञ थे। उत्तरदाताओं में से 30 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 'हाँ' में जवाब दिया जबकि 70 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 'नहीं' में अपना जवाब दिया।

स्पष्ट है कि उत्तरदाता सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को सुशासन का प्रमुख माध्यम मानते हैं।

सारणी क्र. 1

क्रमांक	उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	उत्तरदाताओं की संख्या	उत्तरदाताओं का योग	उत्तरदाताओं का प्रतिशत
1.	हाँ	36	36	30
2.	नहीं	84	84	70
	कुल योग	120	120	100

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के लागू होने से इसके सबसे बड़े लाभ के बारे में उत्तरदाताओं से प्रश्न किया गया जिसमें उन्होंने अपने प्रति उत्तर 30 प्रतिशत में जवाब दिया कि यह अधिनियम सुशासन में प्रभावशाली भूमिका के रूप में कार्य कर रहा है। अर्थात् जिनके मन, मस्तिष्क की उपज यह अधिनियम है कि यह एक पारदर्शी एवं उत्तरदायित्वपूर्ण प्रशासन की स्थापना करे। इसी संदर्भ में उत्तरदाताओं ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि, यह अधिनियम सुशासन स्थापित करने में सफल सिद्ध हो रहा है। किन्तु 70 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपनी असहमति व्यक्त की, कि यह अधिनियम प्रशासन में सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सुचिता आदि दिखावा का मात्र ही साबित हो रहा है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की प्रशासन में पारदर्शिता का मानक के संदर्भ में प्रतिक्रिया

चयनित समंक से यह पता लगाने का प्रयास किया गया कि क्या यह अधिनियम प्रशासन में पारदर्शिता का मानक है? की प्रतिक्रिया में 51.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 'आंशिक रूप से सहमत हैं' को बताया तथा 10.83 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 'आंशिक रूप से असहमत हैं' को बताया जबकि 37.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 'पूर्णतः सहमत हैं' को बताया।

सारणी क्र. 2

क्रमांक	उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	उत्तरदाताओं की संख्या	उत्तरदाताओं का योग	उत्तरदाताओं का प्रतिशत
1.	आंशिक रूप से सहमत	62	62	51.66
2.	आंशिक रूप से असहतम	13	13	10.83
3.	पूर्णतः सहमत	45	45	37.5
	कुल योग	120	120	100

प्राप्त निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि, अधिकांश 51.66 प्रतिशत उत्तरदाता सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को प्रशासन में पारदर्शिता का मानक आंशिक रूप से मानते हैं, जबकि अधिनियम का उद्देश्य ही है प्रशासन में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता को स्थापित करना है अतः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु प्रशासनिक उदासीनता को दूर करना अति आवश्यक है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के माध्यम से प्रशासन में पारदर्शिता के संदर्भ में प्रतिक्रिया

चयनित समंक में से यह पता लगाने का प्रयास किया गया कि, इस अधिनियम के माध्यम से क्या प्रशासन में पारदर्शिता आई है? के संदर्भ में 09.16 उत्तरदाताओं ने 'पूर्णरूप से' को बताया तथा 68.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 'आंशिक रूप से' को बताया एवं 05 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 'कुछ कह नहीं सकते' को बताया जबकि 17.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 'स्थिति यथावत है' को बताया।

सारणी क्र. 3

क्रमांक	उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	उत्तरदाताओं की संख्या	उत्तरदाताओं का योग	उत्तरदाताओं का प्रतिशत
1.	पूर्णरूप से	11	11	09.16
2.	आंशिक रूप से	82	82	68.33
3.	कुछ कह नहीं सकते	06	06	05
4.	स्थिति यथावत है	21	21	17.5
	कुल योग	120	120	100

चुने गये निदर्श से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि 17.5 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 प्रशासन में पारदर्शिता स्थापित करने में असफल रहा हैं जबकि 68.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह माना है की यह अधिनियम केवल आंशिक रूप से ही पारदर्शिता स्थापित करने में सफल हो पाया है।

अतः प्रशासन में पारदर्शिता स्थापित करने के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों को पूरी निष्ठा एवं सकारात्मक सोच के साथ क्रियान्वित करना आवश्यक है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के माध्यम से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के संदर्भ में प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया कि इस अधिनियम के माध्यम से क्या भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है? के संदर्भ में 24.16 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 'पूर्णतः सहमत हैं' को माना तथा 11.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 'पूर्णतः असहमत हैं' को माना एवं 56.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 'आंशिक रूप से सहमत हैं' को माना जबकि 07.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 'आंशिक रूप से असहमत हैं' को माना।

सारणी क्र. 4

क्रमांक	उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	उत्तरदाताओं की संख्या	उत्तरदाताओं का योग	उत्तरदाताओं का प्रतिशत
1.	पूर्णतः सहमत	29	29	24.16
2.	पूर्णतः असहमत	14	14	11.66
3.	आंशिक रूप से सहमत	68	68	56.66
4.	आंशिक रूप से असहमत	09	09	07.5
	कुल योग	120	120	100

P: ISSN NO.: 2394-0344
E: ISSN NO.: 2455-0817
Remarking An Analisation
RNI No.UPBIL/2016/67980
Vol-I* Issue- V* August - 2016

चुने गए निदर्श से प्राप्त जानकारी के आधार पर सर्वाधिक 56.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना की सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर आंशिक रूप से ही नियंत्रण स्थापित करने में सफल हुआ है।

अतः आवश्यकता है इस अधिनियम को अधिक प्रभावी एवं कारगर बनाने की और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इस अधिनियम को ज्यादा सशक्त बनाया जाए तथा शासकीय कर्मचारियों को संरक्षण प्रदान करने वाला भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311 में आवश्यक संशोधन किया जाए ताकि, इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जा सके।

निष्कर्ष

हम लोकतंत्र को विकृतियों से मुक्त कर उसे जीवंत बनाना चाहते हैं। अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। विगत दशकों में भारतीय प्रशासन के सुधार हेतु हमने अनेक प्रयास किये हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग, लोकायुक्त एवं लोकपाल का प्रावधान, अनेक समितियों का गठन एवं सतर्कता आयुक्त प्रणाली द्वारा निगरानी व्यवस्था आदि को इसी क्रम में देखना चाहिए। सुधारों की इसी कड़ी में सूचना का अधिकार एक सशक्त उपाय है। इसे जीवन और व्यवस्था के अंग के रूप में स्वीकार करना होगा।

सूचना के अधिकार की अनिवार्यता इसी से सिद्ध हो जाती है कि यह भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है। व्यवस्था में बुनियादी बदलाव को संभव बनाने वाले इस सूत्र को संयुक्त राष्ट्रसंघ–चार्टर सहित वि''व के एक दर्जन से अधिक राष्ट्र अपने संविधान का अंग बना चुके हैं। गोपनीयता के विरुद्ध पारदर्शिता की वकालत करने वाली यह माँग इस सामान्य सूत्र पर आधारित है कि, सरकार जनता को सूचना की स्वतंत्रता दे तथा विकास के कार्यक्रमों को जानने दे। निर्धारित शुल्क के माध्यम से नि"चित अवधि में शासकीय अभिलेखों की छायाप्रतियाँ आम नागरिकों को उपलब्ध करवायें और शासकीय संसाधनों के दुरुपयोग पर दोषियों को दण्डित करें। सूचना के अधिकार अधिनियम की सफलता के लिये प्रदेश में सूचना चौकियों की स्थापना की जाए तथा जन साधारण तक सूचना आसानी से उपलब्ध हो और कर्मचारियों द्वारा भटकाव से मुक्ति के लिये ग्रामीण स्तर पर हर छठवें महीने एक प्रशिक्षण कैम्प का आयोजन कर उन्हें प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाये। इस कार्य के लिये गैर सरकारी संगठन एवं कार्यकर्ताओं द्वारा सहायता ली जा सकती है। जो बड़ी आसानी से गाँवों तक पहुँचकर उन्हें सही समय पर प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित कर सकते हैं।इससे लोगों के अन्दर भय कम होगा उनमें जागरुकता आयेगी जिससे वे निडरतापूर्ण अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। शोधार्थी द्वारा अध्ययन में यह भी पाया गया कि सूचना प्राप्तकर्ता की भावना भी नकारात्मक रहती है और वह भ्रष्टाचार, पारदर्शिता, सुशासन के स्थान पर खुद भ्रष्टाचार करने के लिये कर्मचारियों को उकसाता है और उन्हें गुमराह करने का कार्य करता है। जो सूचना प्रदाता और सूचना प्राप्तकर्ता के बीच दूरियाँ एवं मनमुटाव की स्थित को जन्म देता है।

आधुनिक युग में ऐसे शासन की आवश्यकता है जिसका संचालन समाज द्वारा किया जाता है और तभी जनता अपने आप पर शासन कर सकती है। एक जनतंत्रात्मक शासन में नागरिकों की आवश्यकता है न कि मुवक्किलों की। मुवक्किल ऐसे लोग होते हैं जो कि बिचौलिए नेताओं पर निर्भर होते हैं मुवक्किल प्रायः दूसरे पर निर्भर होते हैं दूसरों के द्वारा नियंत्रित होते हैं,और इंतजार करते रहते हैं कि दूसरे उनके लिए कार्य करेंगे। दूसरी तरफ नागरिक अपनी समस्याओं को स्वयं समझते हैं और उनका समाधान स्वयं ढूँढ़ते हैं। अच्छे नागरिक सुदृढ़ समुदायों का निर्माण करते हैं और सुदृढ़ समुदाय एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करते हैं।

विकास में सूचना की उपलब्धता एवं उसके प्रचार–प्रसार की भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया है। यह माना गया है कि विश्व तभी एक बड़ा बाजार बन सकता है जब दुनिया का छोटे से छोटा गाँव एक दूसरे से जुड़ा हो जिनमें सूचना प्रवाह सरलता से हो सके इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को मात्र साक्षर ही नहीं बल्कि शिक्षित भी होना पड़ेगा। शासकीय विभाग अपना अभिलेख सामान्य प्रक्रियाओं तथा स्थानीय भाषा में रखे ताकि अभिलेख की प्रति मिलने पर आम जनता उसे समझ भी सके तभी ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना का अधिकार अधिनियम सफल हो सकेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. दुबे, अशोक कुमार, 21वीं9व 0 शताब्दी में लोक प्रशासन, टाटा मैग्रा–हिल पब्लिशिंग कम्पनी प्रा. लिमिटेड,नई दिल्ली
2. द्विवेदी, डॉ. राधेश्याम, 2012, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, सुविधा लॉ हाउस प्रा.लि., भोपाल
3. दुबे, अशोक कुमार, प्रशासनिक विचारधाराएँः अवधारणात्मक विश्लेषण एवं प्रासंगिकता, टाटा मैग्रा–हिल पब्लिशिंग कम्पनी प्रा.लि.,नई दिल्ली
4. गुप्ता, डॉ. सुनील एवं सिंह, डॉ. कमल कुमार, 2012, सुशासन, नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया, नई दिल्ली
5. कटारिया, डॉ. सुरेन्द, 2014, भारतीय लोक प्रशासन, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर
6. मुंशी सुरेन्द्र, अग्रवाल बीजू पॉल एवं चौधरी सोमा, 2009, सुशासन, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर
7. एम. लक्ष्मीकांत, 2012, लोक प्रशासन, टाटा मैग्रा–हिल पब्लिशिंग कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली
8. शर्मा, डॉ. अनुपम, 2010, लोक प्रशासन के उभरते आयाम, अल्फा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली
9. मुकर्जी, रवीन्द्रनाथ, सामाजिक शोध व सांख्यिकी, विवेक प्रकाशन, दिल्ली